न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 202/2018
पंजीयन दिनांक 23.08.2018

(1). भंवरलाल पिता चंपा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
(2). शिवलाल पिता चंपा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
(3). ऊंकार पिता मेघा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजायः–
3/1. बावरीबाई बेवा ऊंकार जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
3/2. मांगीलाल पिता ऊंकार जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
3/3. मोहन पिता ऊंकार जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
(4). बालू उर्फ बालिया पिता गोधा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
(5). अमरी बेवा गोधा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
(6). देवा पिता मोती जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजायः–
6/1. जमनीबाई पत्नी देवा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
6/2. चुन्नीलाल गोद–पुत्र देवा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). रोडीलाल पिता नारायण जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(2). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्गण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी
प्रकरण संख्या 57/1996 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2000

उपस्थित वक्त बहस-(1). सत्यनारायण ईनाणी-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). मदन त्रिपाठी- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय

दिनांक 14.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा अम्बावली तहसील बडीसादडी की खाता सख्या 53 मे दर्ज आराजी संख्या 35, 151, 152, 156, 168 कुल किता 5 कुल रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अपीलांटगण की सयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा निहित है व अपने-अपने हक हिस्से अनुसार वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 रेस्पोडेन्टगण उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तथा पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से आये दिन उभय पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता है। अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा पक्षकारान के कब्जे को मध्यनजर रखते हुए किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं व प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । पत्रावली दिनांक 27.02.1998 को लोक अदालत मे रखी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे उभय पक्षकारान के कब्जे को ध्यान मे रखा जाकर फर्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बंटवाड़ा तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार बड़ीसादडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवाडा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर पत्रावली वास्ते बइंतजार फर्द बंटवाड़ा नियत की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे दिनांक 31.03.2000 को तहसीलदार कमिश्नर से प्राप्त फर्द बंटवाड़े अनुसार वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बंटवाड़ा कराने के लिए सहमत होने से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने प्रथम अपील म्यांद बाहर इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के सम्मन नोटिस तामील नहीं होते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 27.02.1998 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर बंटवाड़ा किये जाने हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर के द्वारा बिना सूचना दिए फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उसी फर्द बंटवाड़े के आधार पर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को बिना सुने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए उसके बावजूद अपीलांट्गण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नही हुए जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाकर प्रकरण को लोक अदालत के तहत हक व हिस्से के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार को फर्द बंटवाड़े हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर स्वयं के द्वारा पक्षकारान को विधिवत सूचना दी जाकर नियत दिनांक को फर्द बंटवाड़ा उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि अनुसार है। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों के आधार पर होने से स्वीकार किये जोन योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट्गण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहखातेदारी की कृषि आराजीयात के बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये जो तामील होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न किये उसके बावजूद भी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया व पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए लोक अदालत मे नियत की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के लोक अदालत के नोटिस जारी किये गए फिर भी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को सुना जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्से अनुसार बंटवाड़े की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार बड़ीसादड़ी को फर्द बंटवाड़े हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर स्वयं द्वारा उभय पक्षकारान को सूचित किया जाकर बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाड़ा उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किया गया है। उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति के रूप मे हस्ताक्षर है । उक्त फर्द बंटवाड़े को तहसीलदार कमिश्नर द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़ा राजस्व रेकॉर्ड व बंटवाड़ा नियमो के अनुसार होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने फर्द बंटवाड़े के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की इजराय किये जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संबंध मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को सम्मन नोटिस जारी किये जाकर उनकी ओर से उज्र व ऐतराज प्रस्तुत किये जाने हेतु इतला जारी की गई जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की तामील होकर प्राप्त हुई। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री के बारे मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को पूर्णतया जानकारी होने के बावजूद भी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से 15 वर्ष की अवधी व्यतीत होने के उपरान्त भी कोई आपत्ति व ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होकर स्वीकार योग्य नहीं है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादड़ी प्रकरण संख्या 57/1996 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2000 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 202/2018 /डिक्री

(1) श्री भंवरलाल पिता चंपा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(2) शिवलाल पिता चंपा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।
(3) ऊंकार पिता मेघा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय- 3/1. बावरीबाई बेवा ऊंकार जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़-अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री रोडीलाल पिता नारायण जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़
(2) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी दि. 31-3-2000 प्रकरण सं. 57/1996 अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 14-10-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण (इक्ला) रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री मदन तिवारी अधि० रेस्पो० नं. 1 पूरणमल स्वर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पो-2 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी प्रकरण संख्या 57/1996 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31-3-2000 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....-.... रुपये हैं, ...-.... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....-.... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 14-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 14-10-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

3/2. मांगीलाल पिता ऊंकार जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

3/3. मोहन पिता ऊंकार जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

(4) बालू उर्फ बालिया पिता गोधा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

(5) अमरी बेवा गोधा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

(6) देवा पिता मोती जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय :-

6/1. जमनीबाई पत्नी देवा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

6/2. चुन्नीलाल गोद पुत्र देवा जाति मीणा निवासी अम्बावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)